



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

INDORE Division

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.NO.7290 /भोपाल, दिनांक 13.08.2013

speedpost-D.NO.7417 /-

प्रति,

श्री हाजी सा. सिद्दीक S/o हाजिरा सा.
वक्फ हाजिरी में सारंग गद्दू धावनी.
निवासी - मा. न. 3412 पापगरी स्कूल के सामने गद्दू-इन्दौर

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताबलियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 66-67 से 12-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी ओर से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

me

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज कैम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र. 60/9 डिमाण्ड नोटिस सन् 2012-13 जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

263/09-24-2013

नाम मुतबल्ली कमेटी मय पता : श्री हाजी मो. सिद्दीक हाजी सा. वक्फ

हाजी मो. सिद्दीक हाजी सा. वक्फ हाजी मो. सिद्दीक हाजी सा. वक्फ

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

केवल 91004/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबत साल 66-67 से लगायत साल 12-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबत के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
2012-13						118000	7%	7560/-		
						242100		83444/-		
						36000		91004/-		
(कुल 118000 + 242100 + 36000 = 496100)										

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड /D.NO.7291 /- भोपाल, दिनांक 13.08.2013

speedpost. D.NO. 7418 /-

प्रति,

श्री सतीश खान S/o राजीव खान - अहमद
वक्फ मस्जिद काग़र-वान एम.जी. रोड- तुमको गंज- इन्दौर-
निवासी- 96 रेडिओ कालोनी- इन्दौर-

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 02-03 से 12-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी ओर से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

etc

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067

फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र. 40/9 डिमाण्ड नोटिस 2012-13 जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995 3253/09-04-2013

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पुता सलीमरपान / प्रजादुरपान इदमया वक्फ मार-जय
वक्फ मार-तान एम.जी. रोड गुकोरांज इन्का (निवाली - 96 रोड मारकातानी
 हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

केवल 13160 रूपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 02-03 से लगायत साल 12-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अर्न्तगत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
2012-		13				188000/-	7%	13160		
						कुल 188000/-		13160		
(कुल मोगातेर 2 जमा एक लाख 18 हजार 800 रूपये) नोट - वक्फ की कोर से 2002-03 से 2012-13 तक दिलावाए इजाजत है इन्हिले जमात 21131 से 211312 तक की गई है जमा 814 जमा-वक्फ मारक 2002-03 से 2012-13 तक पराकर ताकि शुद्ध जमा मारक मार 10111 की का निर्धारण किया जा सक सं नोट - R.No 87 76863/- शुद्ध की सं नोट मोगातेर 13160 है। 19-2-13 Rs										

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यालय अधिकारी
 म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज कैंपस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.No. 7292/भोपाल, दिनांक 13.08.2013

speed post D.No. 7419/-

प्रति,

श्री जनाब हाजी मोहम्मद शरीफ सा.
जामा मस्जिद कुपेरा मंडी -
बड़वा हाजी की - इन्दौर - म.प्र.

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 89-90 से 12-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी ओर से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

or

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा ऑडिट 3 नस्ती क्र. 31/9 डिमाण्ड नोटिस 2012-13 सन् जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995 3257/09-04-2013

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : जनाब हाजी मोहम्मद शरीफ सा. जायामासम

कुर्वे 2 मन्डी - 61301, ला. न. का. इ. म. प.

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. अनुमानित आय पर D.M. जारी

केवल 79650/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 89-90 से लगायत साल 12-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
20	12-	13				2000000/-	7%	140000		
						27 शेष		65650		
						कुल योग		79650		
(कुल योग 3 तारीख 89-90 से लगायत साल 12-13 तक)										

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज कम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड /Δ. NO. 7293 /भोपाल, दिनांक 13.08.2013

speedpost D.NO. 7420 / -

प्रति,

श्री दाऊद अहमद खान 8/0 गौरीगोखला - इ.प्र.प्र.
वक्फ शास्त्रिक रेग रेजान काडीवला इ.प्र.प्र.
निवासी - 9/8 ऊजागोज धरवती - इ.प्र.प्र.

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अन्तर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अन्तर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबत वर्ष 05-06 से 07-08 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अन्तर्गत वांछित बजट, हिसाबत, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्याग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

ofe

Daoud

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067

फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र. 1819 डिमाण्ड नोटिस 2012-13 सन् जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995 3255/09-04-2013

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : श्री हाजी नारिहरमान S/O गौस मोहम्मद हाथका

वक्फ नारिहरमान रंगरेमान कड़ावला 2 इन्दौर निवासी - 9/8 डायगुजधवाली

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. पूर्व राज हाथका D N नारी किधाना रंहरा.

केवल 14413/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

67-08 र 12-13 तक

भेजे और हिसाबात साल 05-06 तक से लगायत साल भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्रं.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
2012-		13				2,05900/-	7%	14413		
						कुल 14413		14413/-		
						(कुल 14413 चन्दा रंहरा चालसी 12-13 तक)				

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. / न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड / D.NO. 7294 / भोपाल, दिनांक 13.08.2012

Speed post- D.NO. 7421 /-

प्रति,

श्री सलीम उद्दीन सय्यद

वक्फ जामा मस्जिद महुधरवती गढ़- इन्दौर

निवासी- 2606 धोटीवाली गढ़- धरमती गढ़- जिला- इन्दौर

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताबलियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबत वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबत, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

mc

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र. 1/9 डिमाण्ड नोटिस 2010-11 सन् 2012-13 जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995 3254/09-04-2013

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : जी. सी. सी. 33, न. न. न. वक्फ जामा मार-जद-नद

विवरण निवासी - 2606 व्हेरिकाता नद - व्हेरिकाता नद - व्हेरिकाता नद - व्हेरिकाता नद

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. प्रपति हिसाबत पर CN लगाया जा रहा है।

केवल 24398/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबत साल 2009-10 से लगायत साल 2010-11 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबत के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
2010-11			213679/-	46414/-	166665/-	166700/-	7%	11669/-		
2011-12			244306/-	61896/-	182410/-	182400/-	7%	12768		
2012-13			—	—	—	182400/-	7%	12768		
						पूर्व राशि		11628		
			24435/-	—	—	—		4833	4833	
			24435/-	—	—	—		24435	24435	
			24398/-	—	—	—		24398	24398	

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.N.O. 7295/- भोपाल, दिनांक 13.08.2013
speedpost-D.N.O. 7422/-

प्रति,

श्री डानव २ खान S/o सिरदा २ खान प्रबोदक
खान सिरदा २ खान कश्मीर २२-२ - इलाहाबाद
निवासी - २३/१ मोती तबेला - इलाहाबाद

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताबल्लियों में से एक मुतबल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 12-13 से 12-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतबल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

ole

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज कैम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र. 57/9 डिमाण्ड नोटिस 2012-13 सन् जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

3264/09-04-2013

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता :

कानवर 2 वान / 0 सारदार 2 वान / 5 वान

2012-13 का 22-2-23 का निवासी-23/1 मोतीवोला
हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

केवल 72520 रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबत साल 12-13 से लगायत साल 12-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबत के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
2012-	13					1036000	7%	72520		
						कुल माँदा माँदा		72520 10403 62117	कांफेस वाक	

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. कलक

हस्ता. इंचारज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज कैंम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.N.D. 7296 /भोपाल, दिनांक 13.08.2013

Speed post-D.N.D. 7423 /-

प्रति,

श्री डा. जगदीश चन्द्र शर्मा S/O डा. जगदीश शर्मा - डा. जगदीश
वक्फ मजारे-जयपुरतापरायन रोड, लालगंज 25^{वीं} पुरा - इन्दौर
निवासी - 37/3 उद्दो गैरान दोलतगंज - इन्दौर - म.प्र.

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष X से X तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

ec

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र. 66/9 डिमाण्ड नोटिस सन् 2012-13 जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

70/0/27-07-2013

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता :

हिलाबात कुतुबात दारा मसाजिद इन्दौर निवासी = 37/333

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों। हिलाबात कुतुबात दारा मसाजिद इन्दौर निवासी = 37/333

केवल 41062/- रूपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

15882/- भेजे और हिसाबत साल से लगायत साल भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबत के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
2012	13		16,9332	532775	1086557	1086600	7%	76062		
						कुतुबात		76062		
						R.N. 1081	(-)	35000	वसुली	2112
						22-6-13		41062/-		
						कुतुबात		180/-		
						कुतुबात		40882/-		
						R.N. 065	(-)	25000	वसुली	2112
						4-2-13		15882/-		
						कुतुबात				

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।
नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यापालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. / न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.No. 7297 / भोपाल, दिनांक 13.08.2013

Speedpost- D.No. 7424

प्रति,

श्री हाजी सादुल्लाह पठाण S/o हाजी खुरशान पठाण संदर
वक्फ बोर्ड भोपाल - इ.सी.ए.
निवासी - 20 शारही कालोनी - इ.सी.ए.

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताबलियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अन्तर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अन्तर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 06-07 से 12-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी ओर से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अन्तर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

Me

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल 2012-13 तक

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र. 55/9 डिमाण्ड नोटिस 2011-2012 सन् जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

3256/09-04-2013

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता :

हाजी सयदाह पठा न 5/0 हाजी सुरा नान पठा न सिद्ध

वक्फ कमेटी मय पता - इला - निजाला - 20, 211-21 का लो नी - इन्दीर
हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

केवल 37058/- रूपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 06-07 से लगायत साल 12-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजे।

वक्फ का नाम	क्रं.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अर्न्तगत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
2011-	12					2.64700/	74.	18529	1-	
2012-	13					2.64700/	74.	18529	1-	
						कुल जोड़ा		37058	1-	

दीगर रिमार्कस के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.NO. 7298 /भोपाल, दिनांक 13.08.2013

speedpost-D.NO. 7425/-

प्रति,

श्री हाजी नवाबखान 5/0 हाजी मुनीर खान - आदमपुर
वक्फ हाजी नवाबखान 22/11/2012 वही खानखाना - इन्दौर
निवासी - पार्सल-42 गंगा नाली - खानखाना - इन्दौर

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताबलियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबत वर्ष 12-13 से 12-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी ओर से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबत, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निलोप्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

He

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र. 114/9 डिमाण्ड नोटिस 2012-13 सन् जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

3265/09-04-2013

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : जी हाजी नवाबरा 5/0 हाजी मुनीररा अहमद

वक्फ 223112 अ नो 22112 वली खजराता - निवाली - वडिन पट

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. इन्फो

केवल 70474 रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 12-13 से लगायत साल 12-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अर्न्तगत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
2012-13						1006800/-	7%	70476		
						कुल 1006800/-		70476/-		
						(कुल 1006800/- सन् 12-13 में दिए गए हैं)				
						R. No 84		70476		
						2-5-13				
								NIL		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.No. 7299 / भोपाल, दिनांक 13.08.2013
speedpost-D.No. 7426 /-

प्रति,

श्री डा. नवरत्न शर्मा S/o सारदार शर्मा प्रबोदक
वक्फ मसजिद मालवा मिल - पारनीपुरा इलाहाबाद
निवासी - 23/1 मोतीबेली - इलाहाबाद - म.प्र.

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताबल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 09-10 से 12-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

0/c

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फैक्स : 0755-2543175

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

ଆନା ୨୨୧୫୦ ଟଙ୍କା ୧୨୩୧୨୨୧ ଟଙ୍କା ଯଦିଏକ ବର୍ଷ

केवल 7500 रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबत साल 1991-1992 से लगायत साल 1992-93 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

[illegible]

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. कलिका

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन--0755-2543175,2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.No. 7289 /भोपाल, दिनांक 13.08.2013

speedpost- D.No. 7416 /-

प्रति,

श्री
अपारम्भिक 8/0 अक्टूबर 2013 - सन्धि
पक्क साहिब काजीपुरा - ग.न. 77 इन्डोर -
निवासी - ग.न. 72 काजीपुरा - इन्डोर - म.प्र.

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावलियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 07-08 से 12-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

ole

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र. 75/9 डिमाण्ड नोटिस 2012-13 सन् जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995 3259/09-24-2013

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पत्रा: जी.म.का.र.य. ए.ए.म.य. 870 म.ब.यु.ल.म.ज. 3 स.य. (वक्फ)

मारे-ज.य. का.ज.पु.पु.रा. म.त. 77 इन्दौर निगारानी म.त. 72 का.ज.पु.पु.रा.

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. केवल 10500/- रूपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 07-08 से लगायत साल 12-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का क्र. सन् कुल आय हिसाबात के अनुसार धारा 72 (1) के अर्न्तगत कम की गई राशि शुद्ध आय राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है दर बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि विवरण विवरण रजिस्टर अनुसार

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अर्न्तगत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
2012-13	2-13					150000	7%	10500/-	-	
						80000		10500/-	-	

(कुल राशि यहाँ दर्शाए जा चुकी है)

नोट = आपकी कार्यालय में भेजी गई हिसाबात में बोलेंक शीर तथा
बोलेंक युक्त 2011-12 की भेजे कापी में भेजे P/L A/C पर
यथा निगरानी आई है नहीं किया जा सकता है। होरना आपकी
DN के आय-कम का कर्म भेजा जा रहा है इसकी भेजे कापी का रस
वर्षा 14 हिसाबात व नतिजा भेजे।

दीगर रिमार्कस के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज कैम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.NO. 7275 /भोपाल, दिनांक 13.08.2013

सूचना D.NO. 7402

प्रति,

श्री मोहम्मद हनीफा साह

वक्फ मारिजिय मिन्डारवाडी - धार -

निवासी - 20, राजेंद्र मार्ग - धार - म.प्र.

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताविलियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 12-13 से 12-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

मे

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र. 7/9 डिमाण्ड नोटिस सन् जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : मोहम्मद हनाय सा. वक्फ मारिजय पिन्डारवाडी - दार
निवासी - मोहम्मद पिन्डारवाडी - दार - 20 रजि. मो. - दार
हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. पूर्व रजि. मो. - दार

केवल रूपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 12-13 से लगायत साल 12-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्रं.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
20	12-	13				153400/-	7%	10738		
						पूर्व राशि		45045		
						पुर्व राशि		55783		
					R.No 03		(-)	10000	4/2/2013	
					8-3-13	रेगुलर		45783		
(रेगुलर राशि 10000/- की मंजूरत की जा रही है)										
नोट -	R.No 03	10000/-	की मंजूरत की जा रही है							
	8-3-13									
			राशि 2 पुर्व राशि की जा रही है।							

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर राजुल नरसिंह भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.NO. 7273 /भोपाल, दिनांक 13.08.2013

स्वीडपोल्ट D.NO. 7398 /

प्रति,

श्री माशिक खान ड/० डाकुल रहमान - डाहमदा
वक्फ शासिज्य मौजिनवाड़ी - धार
निवासी - 7, मौजिनवाड़ी - धार म.प्र.

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 03-04 से 10-11 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

de

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067

फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल 2 12-13

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र. 6/9 डिमाण्ड नोटिस सन् 2011-12-20 जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : श्री मास्टर 29111/0 कुतुबुल रहमान कदमथा वक्फ मस्जिद

मेमिटरवाड़ी - दफा निवासी - मेमिटरवाड़ी - दफा - म.प्र.

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. प्राप्त हिसाबत कुतुबुल CN लगाइ जाइए

केवल 483/ रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 03-04 से लगायत साल 10-11 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
2011-12			85000	2323	82677	82700	7%	5789		
2012-13			142309	2303	140000	140000	7%	9800		
						19600				
09-10 वरहा 11-12 वरहा			14406			कुतुबुल		35/89		
R. No 67			5600			कुतुबुल		30006		वरहा 21121
4-2-13						व. की		5183		
R. No 1024			10000			P. No 58		4700		वरहा 21121
24-5-13			30006			13-14-12		483		वरहा 21121
27-5-13						P. No	(-)	483		
						4-7-13		NIL		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.No. 7274 /भोपाल, दिनांक 13.08.2013
स्पष्टिपोल्ट-D.No. 7399/-

प्रति,

श्री शहजद अहमद खान
जवाबदार निगरानी और वक्फ बोर्ड के निगरानी
निवासी- 42वाडी डाकरी- 442-म.प्र.

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 03-04 से 12-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी ओर से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

ole

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज कैम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र. 4/9 डिमाण्ड नोटिस

2012-13

जावक नं.

दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता :

जी 21 हाउस 3 डी 1 न डिमाण्ड वक्फ मार-जय पार डाला काता हा

ह 29131 चोक - धार - निवासा ह 29131 डी वरी - धार - म.प्र.

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

अनुमानित आय पर DN जारी

केवल 28000 रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबत साल 03-04 से लगायत साल 12-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबत के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
20	12-	13				200000/-	7%	14000/-		
						शुद्ध राशि		14000/-		
						कुल राशि		28000/-		
(कुल राशि 28000/- रुपये)										

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. वरुण

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस निम्न तहसील मध्य प्रदेश भोपाल PIN- 475001-0755-2543175,2737341
ई-मेल mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.No. 7300/भोपाल, दिनांक 13.08.2013

Speedpost-D.No. 7427/-

प्रति,

श्री 302112एडवाइजरी 221 S/p 3021012 एडवाइजरी
वक्फ 221155112-जय व 114(211) 3021012 एडवाइजरी- 221
निगरी- 186 जय व 114(211) 3021012- 221

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताबलियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबत वर्ष 84-85 से 12-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबत, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

012

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र. 8/9 डिमाण्ड नोटिस 2012-13 सन् जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता :

जी. को. सा. ए. ए. मय मरररर 5/0 अलग ए. ए. मय वक्फ मररर

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. निवासी- 186 बरतार मररर-
34424/-

केवल रूपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 84-85 से लगायत साल 12-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
20	12-	13	12-13 DN 324 दिनांक 5-6-013			150000/- प्रवेशीय कुल राशि	71	10500 31924 42424		
					R.No 94/10 4-5-13 शेष राशि	(-)	8000	वर्तमान 21121		
					R.No 1046 5-6-13	(-)	29500/-	34424/- वर्तमान 21121		
					R.No 1117 4-7-13	(-)	4924 4924	वर्तमान 21121 वर्तमान 21121		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन--0755-2543175,2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.NO. 7288 /भोपाल, दिनांक 13.08.2013

speedpost D.NO. 7415/-

प्रति,

श्री हाजी पीर मो. 8/0 नूर मो. अहमद
वक्फ शाही मस्जिद व इकवात व मस्जिद गीकतगांव - 242001
निवासी - 21 जल-गांव हाजीर शरीफ जस 2-टे. 3-गीकतगांव-स्वर्गात

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताबल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 88-89 से 12-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

me

Daar

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067

फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मस्जिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र. 15-17/9 डिमाण्ड नोटिस

सन् 2012-13

जावक नं.

दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता :

श्री हाजी इमाम अहमद शाह मजिद अहमद शाह मजिद

व इदगाह व मध्यस्थता आकरनाम व निवासी - इदगाह कास

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

अनुमानित आय पर 8 अगस्त - अक्टूबर - 2012-13

केवल 10500/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 88-89 से लगायत साल 12-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अर्न्तगत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
20	12-	13				150000/-	7%	10500		
						कुल आय 2401055		10500		
						5113		5000		
								5500		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज कम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

§

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र. 13/9 डिमाण्ड नोटिस 2012-13 सन् जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता

श्री. फारुख अली शारदा 22 सा. 242 वक्फ शारदा
इमली पुरा-290391 निवासी- इमली पुरा हताई इमली पुरा के पास- 290391
हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

केवल 15955 रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबत साल 10-11 से लगायत साल 12-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजे।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबत के अनुसार	धारा 72 (1) के अर्न्तगत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
20	12-	13				114000/- 242100	7%	7989/- 7975/-		
						कुल राशि		15955		
			(कुल राशि 43222 सा. (नौ सा. 43222 सा. 242100)			24056	(-)	15955		43222 सा.
						9.4 13		NIL		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड /D.NO. 7276 /भोपाल, दिनांक 13.08.2013

सुपडिपोलर-D.NO. 7403 /-

प्रति,

श्री 3122 गेहगाय देवोयार 5/0 हरन गेहगाय आदमदा
वफा गाय 1511 तालिपुल इर-ताज-कारेज बाजार-बुरहानपुर
निवासी-पुलका गाय 1511 गौदी चौक-बुरहानपुर मध्य.

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावलियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबत वर्ष से तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपको और स बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबत, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

ole

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र. 80/9 डिमाण्ड नोटिस 2012-13 सन् जावक नं. दिनांक 09-04-2013

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता :

शरद मोहम्मद उमर 2/0 हसन मोहम्मद उमर
मय 2/0 हसन मोहम्मद उमर - कारंज बाग (निगरानी - पुतका मय 2/0
हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. अनुमानित आय (DN जारी) - जांचा जाक. बुद्धिमान
केवल 7000/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 99-2000 से लगायत साल 12-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चंदा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
20	12-	13				100000/-	7%	7000/-	-	
						कुल 100000/-		7000/-	-	
						(90000/- राशि तैयार (रुपये)				

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल नसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड /D.NO. 7277 /भोपाल, दिनांक 13.08.2013

Speed post - D.NO. 7404 /-

प्रति,

श्री 2 श्री. इ.स. इ.स. 5/0 श्री. नरेश

जम्मू तकिमा व दूरगाह 211 इ.स. इ.स. सुदा. सुदा. - चोली कुआं
बरा गिदाल - दूरगाह 211 - निमाली - बरी गिदाल - दूरगाह 211

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावलियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अन्तर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अन्तर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 01-02 से 12-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अन्तर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

Mc

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फैक्स : 0755-2543175

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) बक्स एक्ट 1995

मुख्य कार्यालय अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मुल्क मस्जिद भोपाल-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.No. 7278/भोपाल, दिनांक 13.08.2013

speedpost: D.No. 7405/-

प्रति,

श्री शे. हाजिबुल्लाह S/o शे. अब्दुल्लाह अहमद
वक्फ शासक 20वां राजा सोनहर निमागठपुरा-बुरहानपुर
निवासी- निमागठपुरा बुरहानपुर म.प्र.

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 2010-11 से 2010-11 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी ओर से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

0/c

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फैक्स : 0755-2543175

पा. 6379/06-07-2013
ता. 06-07-2013

नस्ती क्र.

19/9

डिमाण्ड नोटिस

सन्

जावक नं.

दिनांक

Revised

27
210 हाथिक मीर 510 से 0 चौटे मीर 347100 वर्ष

ਸਾਇੰਸ ੨੦੧੧-੧੨ ਸਾਲੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ - ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਦਰਦ ਭਾਇਲੇ ਫਿਰੀ ਕਰੇ ਧਰਮੀ ਜਿਨਾਨ-੧ ਅਨਾਮੀ ਧਰਮੀ

केवल _____ रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबत साल 2010-11 से लगायत साल — भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

211-111
 211-111
 211-111
 211-111

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सुरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड /D.NO. 7279 /भोपाल, दिनांक 13.08.2013

Speedpost-D.NO. 7406 /-

प्रति,

श्री महमूद अहमद साहब साहब खान
जयपुरी का ठिकाना व खानकाह मलिक हुसैन बख्शी-
निवासी- खानकाहवाडी- बुरहानपुर

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताविल्लियों में से एक मुतावल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबत वर्ष 12-13 से 12-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी ओर से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबत, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतावल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

me

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

09-01-2013

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र. 76/9 डिमाण्ड नोटिस सन् 2012-13 जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995 3288

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : जी. प्रसूद झा दे मय साहेब राय दे कमेटी वक्फ मिल्का
तकिया वरवान काह गोलक हसन बख्तानी - 291 नका हवाड - गुरहातपुर
हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. पूर्व दज आभाष (DA) जारी
केवल 11138/ रूपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर
भेजे और हिसाबात साल 12-13 से लगायत साल 12-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्रं.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
20	12	13				191300/-	711	13391		
						मासिक राशि (-)		2253		
						कुल राशि		11138		
						(कुल राशि 191300/- एक सौ अड़तीस हजार)				
						अदत चंदा 1088/11				
						25.6.013		(-10,000/-)		
						शेष →		1138		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

माल्कर
हस्ता. क्लर्क
01/0

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज कम्पस निधर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन -0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड /D.No. 7280 /भोपाल, दिनांक 13.08.2013

Speed post- D.No. 7407/-

प्रति.

श्री श्री. सईद खान एजीजे 2 S/O श्री. शरीफ खान सचिव
वक्फ बोर्ड म.प्र. इलाहाबाद, इलाहाबाद, 2013 - बुरहानपुर
निगरानी - अब्दुल कादर शिन्धीकी वाडे - बुरहानपुर

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 01-02 से 12-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी ओर से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

01

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र. 60/9 डिमाण्ड नोटिस

2012-13 सन् जावक नं.

दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

3284

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता :

सो. 25 ई. रवान 23 वी. क्र. 5/0 मा. शरीफ रवान सायब

वक्फ कलस्तान ई. मा. शरीफ आजादपुर - निवाला - अकबुलकादर सिद्दीकी वार्ड -
हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

केवल 11000/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 01-02 से लगायत साल 12-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्रं.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
20	12-	13				150000/- पूर्व राशि	7%	10500/- 500/-		
						कुल मा. शरीफ (रवान)		11000		
						R.No 1151		11000	व. 211	
						29-7-13		NIL		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

0/C

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यालय अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.No. 7281/भोपाल, दिनांक 13.08.2013

speedpost-D.No. 7408/-

प्रति,

श्री कारीम शाह रिज्ज व गदाका सलनार गौरी - बुरहानपुर

निवासी- सलनार गौरी - बुरहानपुर म.प्र.

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताविलियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 65-66 से 12-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी ओर से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

me

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067

फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र. 56/9 डिमाण्ड नोटिस

2012-13

जावक नं.

दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

3283

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता :

कारि-मो-सई 2, इमामा वक्फ मार-जय मय रसा

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

पूर्वदज इमामा 5/11/11

केवल 29736/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 05-06 से लगायत साल 12-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
20	12	13				108400/-	7%	7588/-		
						पूर्व शेष		22148/-		
						मुहम्मद		29736/-		
						(कुल मांग 30000/-)		30000/-		
						25-7-13		264		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल नसरानिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड /D.No. 7282 / भोपाल, दिनांक 13.08.2013

Speedpost-D.No. 7409/-

प्रति,

श्री आब्दुल रहमान सा. शेखानी शाहवा
पवन जामदाय गुलामाहमदी दाऊदपुरा- बुरहानपुर
निवासी- दाऊदपुरा- बुरहानपुर

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताविलियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 12-13 से 12-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी ओर से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

०/८

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067

फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र. 34/9 डिमाण्ड नोटिस

2012-13

सन्

जावक नं.

दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता :

जी. अब्दुल रहमान सा. 70 गाना सा. वक्फ मस्जिद व मुहल्ला

जामिया द्वाला दामाती दाऊदपुरा गुरहातपुरा-भो.प्र.

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

प्रति हिसाबात पल CN लागू 2012-13

केवल 13479/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 12-13 से लगायत साल 12-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
20	12-	13				190700/-	7%	13349/-		
						512100		130/-		
						कुल राशि		13479/-		
						(कुल राशि 190700/- + 512100 = 702800/-)				
						प्रति हिसाबात पल CN लागू 2012-13				
						501082/11	11%	55180000		
						25.6 13		सा.क्र. 5479/-		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.No. 7283/भोपाल, दिनांक 13.08.2013

Speed Post-D.No. 7410/-

प्रति,

श्री रिमाज एहमद खां एडवोकेट

पञ्चम गामगाद, न गारिज, 291 नमोद वाडि, गुरहानपुर
निवासी- 291 नमोद वाडि, गुरहानपुर-म.प्र.

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताबलियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अन्तर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अन्तर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 11-12 से 11-12 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी ओर से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अन्तर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

all

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र. 29/9 डिमाण्ड नोटिस 2012-13 दिनांक 29/12/13

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता :

श्री. रिमाज एडमन 29/12/13 एडमन 29/12/13

श्री. रिमाज एडमन 29/12/13 एडमन 29/12/13

हेसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

केवल 25/ रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबत साल 11-12 से लगायत साल 11-12 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबत के अनुसार	धारा 72 (1) के अर्न्तगत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
20	12-	13	1321298/	927848/	463450/	463400/-	74.	32438/		
						वर्माज एडमन	(-)	4393		
						कुल राशि		28045/		
						P.No 1090	(-)	28020	वर्माज एडमन	
						25-6-13		025/		
						कुल राशि				
						संलग्न - P.No 1090				
						25-6-13				
						28020/-				
						की संलग्न				

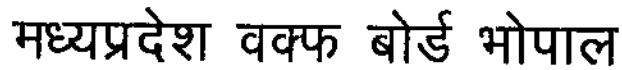
दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



क्र. / न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.No. 7284/भोपाल, दिनांक 13.08.2013

श्री ५
संस्था, मुद्रांकाली शाखा
जयपुर शहर शाखा, जयपुर जिला मंडल - बुरहानपुर
निवासी - श्री ५ बुरहानपुर - ग.प.

8

फोन : 2543175, 4256067

फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र. 18/9 डिमाण्ड नोटिस

सन् 2012-13

जावक नं.

दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

3278

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता :

समय मुतवल्ली कमेटी मय पता : 4/1/12

पता : गुरदासपुर - म.प्र.

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

पूर्व वक्फ आगम (CN लगाया जा रहा है)

केवल 44600/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 12-13 से लगायत साल 12-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
2012-	13					210000	7%	14700		
						पूर्व वक्फ		29900		
						कुल आय		44600		

(कुल आय चन्दा निगरानी के अन्तर्गत है. 2012-13)

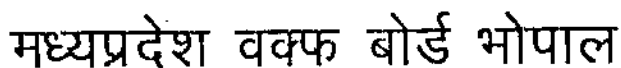
दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कर्मपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज कोम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

प्रति,

श्री ३२॥२५॥ ३/० ३२॥२५॥ - ३२॥२५॥

निवासी- ५ हा २ कुआं कटल पत्नी की वो डिंडिंग शनिवार- धुरहा नपुल

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताबल्लियों में से एक मुताबल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबाल वर्ष 11-12 से 12-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्याग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्नः— एक

of

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज कैम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र. 82/9 डिमाण्ड नोटिस सन् जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : इस्तीफा 20 गुलशेरवा वक्फ की गुलशेरवा मालगुजारी मुतवल्ली
मालगुजारी लालबाग दूसर निवासी - पट्टा कुशा कल्लुतली की निवासी
हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. पूर्व दर्ज मालगुजारी जारी - शनिवार - गुरुवार
केवल 14432/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 11-12 से लगायत साल 12-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्रं.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
20	12-	13				171,300/-	7%	11991/-		
						शुद्ध आय		24411/-		
						कुल आय		144321		
(कुल आय जोड़कर चन्दा माँगा जा रहा है)										

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.NO. 7286/भोपाल, दिनांक 13.08.2013

speed post D.NO. 7413/-

प्रति,

श्री ५. मरीयुड दीन ४० ईद रोड - फाईनाई
नयन शाह-जयपुर-गुजरात- ३०२००१
निवासी- डा. डा. डा. गुजरात- ३०२००१

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबत वर्ष 06-07 से 12-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबत, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

me

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

09-04-2013

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र. 15/9 डिमाण्ड नोटिस 2012-13 सन् जावक न. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995 3277

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : 4 1 1 5 5
स. मराठ 331 त 10 इइरा. वक्फ मार-जय राना

23 जरी - 09-23 नपुल - निगरानी - 31-03-14 लाजा 09-23 नपुल - म.प.
हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

केवल 75570 रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 06-07 से लगायत साल 12-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
20	12-	13				193400 प्रवेश कुल 193400	7%	13538/ 62032/ 75570		
(कुल मांग किया है- 12 हजार पाँच सौ सत्तर रुपये)										

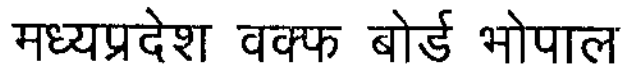
दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज कॅम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175,2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. / न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D. NO. 7287/भोपाल, दिनांक 13.08.2013

speedpost D.No. 7414 /-

प्रति,

श्री ५
सुप्रसन्न हनुमान साहब S/o श्री. काजलाल साहब - ठाहमको
पञ्चमगारिकेय नयाव काबुल रहेको रको मन्डी बाजाह
बुद्धि न बुद्धि ग.प.

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताबल्लियों में से एक मुतबल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबत वर्ष 08-09 से 12-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यार्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्नः— एक

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र. 12/9 डिमाण्ड नोटिस

2012-13 सन् जावक नं.

दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

09-04-2013
3276

नाम मुतबल्ली कमेटी मय पत्रा

जी सयय हनाफा साहब / 0 सय कलतल साहब आहमद

वक्फ मारि-जय नवाब आबुल रहमान साहब मन्डी बाजार- बुरहानपुर मध्य
हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

केवल 24500/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 08-09 से लगायत साल 12-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
20	12-	13				35000/-	7%	24500/-		
						कुल 24500/-		24500/-		
						24500/-		21476/-		
						10-7-13		3024/-		
						(कुल 24500/- चन्दा राशि)				

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. कलक

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल